अधिसूचना दिनांक 25.09.2015

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, बिट्टन मार्केट, भोपाल – 462 016

अन्तिम विनियम

भोपाल, दिनांक 18.09.2015

क्रमांक 1709/मप्रविनिआ/2015. विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 39 की उप–धारा (2) के खण्ड (घ) के उप–खण्ड (एक), धारा 40 के खण्ड (ग) के उप–खण्ड (एक), धारा 66 तथा धारा 86 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) तथा उप–धारा (2) के खण्ड (एक) के साथ पठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संहिता बनाता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015

1. **प्रस्तावना** - राष्ट्रीय विद्युत नीति (एन.ई.पी.) में राज्य स्तर पर उपलब्धता आधारित विद्युत–दर (ए.बी.टी.) की एक विश्वसनीय व्यवस्थापन कार्य विधि का कार्यान्वयन राज्यान्तरिक विद्युत इकाईयों के मध्य, अन्तःदिवस विद्युत के अन्तरण की व्यवस्था की संस्थापना किये जाने की परिकल्पना है । राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसार, इस संरचना का विस्तार विद्युत उत्पादन स्टेशनों (जिनमें राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा यथा अवधारित क्षमता वाले ग्रिड संयोजित कैप्टिव संयंत्र सम्मिलित है) तक किया जाना चाहिए । यह संहिता राष्ट्रीय टैरिफ नीति की धारा 5, 7, 1 (बी) तथा (डी) एवं राष्ट्रीय विद्युत नीति की धारा 6, 2 (1) तथा 6, 3 के उद्देश्यों को भी प्रभावी बनाए जाने की दृष्टि से बनाई गई है । केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित विषय विनियम, 2014 अधिसूचित किये गये हैं तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (असूचीबद्ध विनियम प्रभार तथा संबंधित विषय) विनियम, 2009 निरसित किए जा चुके हैं । उपरोक्त दृष्टि से मध्यप्रदेश सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता विनियम, 2015 अधिसूचित किये जा रहे हैं ।

2. **संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति का विस्तार और प्रारम्भः–**

1 इस संहिता का संक्षिप्त नाम **मध्यप्रदेश विद्युत संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015 (आर. जी–34(एक), सन् 2015)** है ।

2 यह संहिता मध्यप्रदेश राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर लागू होगी तथा इस संहिता में यथाविनिर्दिष्ट रीति में समस्त राज्यीय तथा राज्यान्तरिक इकाईयों पर लागू होगी ।

3 यह संहिता मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन वाले माह के अगले माह की पहली तारीख से प्रवृत्त होगी।

3. **परिभाषाएं :–** इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36);

(ख) ''क्रेता'' से अभिप्रेत है हितग्राही को सम्मिलित करते हुए, कोई व्यक्ति जो विनियम के अनुसार अनुसूचित संव्यवहार के माध्यम से लघु–अवधि खुली पहुंच, मध्यम–अवधि खुली पहुंच तथा दीर्घ–अवधि खुली पहुंच के लिए लागू विद्युत क्रय करता है;

(ग) ''के वि नि आ'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 76 में निर्दिष्ट किया गया केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग;

(घ) ''सी एम आर आई'' से अभिप्रेत है बहुनिर्मिति विद्युत ऊर्जा माप यंत्रों से आंकड़ों को डाऊनलोड करने तथा इनके संग्रहण हेतु उपयोग में लाए जाने वाला सामान्य माप यंत्र वाचन उपकरण;

(ड.) ''आयोग'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 82 के अधीन गठित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग;

(च) ''दिवस'' से अभिप्रेत है एक निरन्तर कालावधि जो 00.00 घंटे (बजे) से प्रारंभ होकर 24.00 घंटे (बजे) पर समाप्त होती है;

(छ) ''प्रेषण अनुसूची '' से अभिप्रेत है एक विद्युत उत्पादक कम्पनी के विद्युत संयन्त्र से उद्भूत शुद्ध विद्युत उत्पादन मेगावॉट तथा मेगावाट ऑवर में, जिसका समय–समय पर ग्रिड को संप्रेषण किया जाना अधिसूचित किया गया हो;

(ज) ''विस्तृत प्रक्रिया '' से अभिप्रेत है इस संहिता के अन्तर्गत राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी की गई विस्तृत परिचालन प्रक्रिया;

(झ) ''विचलन'' किसी समय–खण्ड में किसी विक्रेता हेतु इसका तात्पर्य इसके वास्तविक अन्तःक्षेपण में से इसके समग्र अनुसूचित उत्पादन को घटा कर प्राप्त की गई मात्रा से है जबकि किसी क्रेता हेतु इसका तात्पर्य इसके समग्र वास्तविक आहरण में से इसके समग्र अनुसूचित आहरण की मात्रा को घटाकर प्राप्त की गई मात्रा से है;

(ञ) ''विचलन प्रभार'' से अभिप्रेत उन दरों के अनुसार प्रभारों की गणना, जो 15 मिनट के समय–खण्ड में ग्रिड की औसत आवृत्ति के तत्स्थानी हों जो कि एक के वि नि आ द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की गई हो;

(ट) ''विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म विनियम'' से अभिप्रेत है, केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म और संबंधित विषय) विनियम, 2014 तथा इसमें उसके कोई पश्चात्वर्ती संशोधन सम्मिलित है;

(ठ) ''वितरण कम्पनी नियंत्रण केन्द्र'' से अभिप्रेत है इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक अधोसंरचना तथा मानव संसाधनों से युक्त प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी मुख्यालय पर संस्थापित किया गया नियंत्रण कक्ष (वितरण कम्पनी नियंत्रण केन्द्र के निर्माण, स्वामित्व, संचालन तथा संधारण संबंधित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा);

(ड) ''वितरण कंपनी ऊर्जा लेखांकन दल'' से अभिप्रेत है प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गठित किया जाने वाला दल जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र के समन्वयन से (जहां कहीं यह अपेक्षित हो), इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा;

(ढ) ''वितरण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण कम्पनी'' से अभिप्रेत है कोई अनुज्ञप्तिधारी जो उसके प्रदाय–क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय हेतु किसी विद्युत वितरण प्रणाली को संचालित तथा संधारित किये जाने हेतु प्राधिकृत है;

(ण) ''आहरण अनुसूची'' से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन संयंत्र से उद्‌भूत (एक्स–पावर प्लांट) मेगावाट की मात्रा जो किसी विद्युत वितरण कम्पनी अथवा एक खुली पहुंच क्रेता (ओपन एक्सेस कस्टमर) द्वारा एक विद्युत उत्पादक स्टेशन से प्राप्त की जाना है तथा इसमें समय–समय पर अनुसूचीबद्ध किये गये द्विपक्षीय तथा सामूहिक लेन–देन सम्मिलित हैं;

(त) ''ऊर्जा लेखांकन दल'' से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र स्तर पर गठित किया जाने वाला वह दल जो इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा;

(थ) ''स्वत्वाधिकार'' से अभिप्रेत है किसी विद्युत उत्पादक स्टेशन की स्थापित क्षमता/उत्पादन सुयोग्यता में विद्युत वितरण कम्पनी अथवा एक खुली पहुंच क्रेता का अंशदान (मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर में);

(द) ''विद्युत संयंत्र से उद्‌भूत'' से अभिप्रेत है एक विद्युत उत्पादन स्टेशन से सहायक खपत तथा रूपान्तरण हानियों को घटाकर शुद्ध विद्युत उत्पादन मेगावाट/मेगावाट ऑवर में;

(ध) ''उत्पादक नियंत्रण केन्द्र'' से अभिप्रेत है इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक अधोसंरचना तथा मानव संसाधनों से युक्त मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड मुख्यालय पर संस्थापित किया गया नियंत्रण कक्ष (उत्पादक नियंत्रण केन्द्र का निर्माण, स्वामित्व, अधिकार, परिचालन तथा संधारण का दायित्व मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड का होगा);

(न) ''ग्रिड'' से अभिप्रेत है अन्तर्संयोजित पारेषण तन्तुपथ (लाईनों), उपकेन्द्रों तथा उत्पादन संयन्त्रों की उच्च वोल्टेज आधारित आधारभूत प्रणाली;

(प) ''स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक'' से अभिप्रेत है कोई विद्युत उत्पादक कंपनी जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा धारित या उनके नियंत्रण में न हो;

(फ) ''भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 79 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की गई ग्रिड संहिता;

(ब) ''अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन (आई एस जी एस)'' से अभिप्रेत है कोई केन्द्रीय/अन्य विद्युत उत्पादक स्टेशन जिसमें दो या दो से अधिक राज्यों की भागीदारी हो तथा जिसके अनुसूचीकरण का समन्वयन क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र) द्वारा किया जाता है;

(भ) ''राज्यान्तरिक इकाई'' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति (इकाई) जिसका विद्युत मापन यथास्थिति राज्य पारेषण इकाई या विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाता है, तथा ऊर्जा लेखांकन राज्य भार प्रेषण केन्द्र या अन्य किसी प्राधिकृत राज्य अभिकरण द्वारा किया जाता है;

(म) ''मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (एम पी ई जी सी)'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई ग्रिड संहिता;

(य) ''माह'' से अभिप्रेत है ब्रिटिश कलेण्डर के अनुसार निर्दिष्ट एक कलेण्डर माह की अवधि;

(य–क) ''एम पी पी एम सी एल'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29 जून, 2012 को अधिसूचित मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड;

(य–ख) ''शुद्ध आहरण अनुसूची'' से अभिप्रेत है किसी विद्युत वितरण कम्पनी अथवा किसी खुली पहुंच क्रेता की आनुपातिक पारेषण हानियों (प्राक्कलित) को घटाकर तैयार की गई आहरण अनुसूची ;

(य–ग) ''खुली पहुंच क्रेता'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति (क्रेता) जिसे केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, 2008 (यथासंशोधित) तथा म प्र वि नि आ (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निवन्धन तथा शर्ते) विनियम, 2005 (यथासंशोधित) अथवा कोई विद्युत उत्पादक कंपनी (कैप्टिव उत्पादक संयंत्र को सम्मिलित कर) अथवा कोई अनुज्ञप्तिधारी अथवा कोई उपभोक्ता जिसे म प्र वि नि आ द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उसके प्रदाय क्षेत्र को छोड़कर, किसी अन्य व्यक्ति (क्रेता) से विद्युत प्राप्ति हेतु प्राधिकृत किया गया हो अथवा एक राज्य शासन की कोई इकाई जिसे विद्युत के विक्रय अथवा क्रय हेतु प्राधिकृत किया गया हो;

(य–घ) ''विक्रेता'' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति (विक्रेता), जिसमें ऐसा विद्युत उत्पादक स्टेशन सम्मिलित है, जो विद्युत प्रदाय (विक्रय), विनियमों के अनुसार अनुसूचित संव्यवहार के अनुसार विद्युत प्रदाय करता है जैसा कि यह लघु–अवधि खुली पहुंच, मध्यम–अवधि खुली पहुंच तथा दीर्घ–अवधि खुली पहुंच को लागू होता है;

(य–ड.) ''राज्य भार प्रेषण केन्द्र'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्र;

(य–च) ''राज्य'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;

(य–छ) ''राज्य ऊर्जा लेखा'' से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा क्षमता प्रभारों, ऊर्जा प्रभारों तथा प्रोत्साहन, यदि लागू हों, की बिलिंग तथा व्यवस्थापन हेतु तैयार किया गया मासिक राज्य ऊर्जा लेखा;

(य–ज) ''राज्य प्रबाधी लेखा'' से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रबाधी ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग तथा व्यवस्थापन हेतु तैयार किया गया साप्ताहिक राज्य प्रबाधी लेखा;

(य–झ) ''राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा (एस डी एस एम ए)'' से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विचलन प्रभारों की बिलिंग तथा व्यवस्थापन हेतु तैयार किया गया साप्तहिक राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा;

(य–ञ) ''राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन (एस एस जी एस)'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश ऊर्जा उत्पादक कम्पनी द्वारा संचालित राज्य के भीतर कोई विद्युत उत्पादक स्टेशन, जिसमें पेंच जल विद्युत स्टेशन सम्मिलित है, अन्तर्राज्यीय विद्युत उत्पादक स्टेशन तथा स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक स्टेशन /केप्टिव विद्युत उत्पादक जो मध्यप्रदेश राज्य के भीतर स्थित है, तथा जिनमें राज्य का अपना अंशदान है, को छोड़कर;

(य–ट) ''राज्य पारेषण इकाई (एस टी यू)'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट मण्डल अथवा सरकारी कंपनी;

(य–ठ) ''समय–खण्ड'' से अभिप्रेत है प्रत्येक 15–मिनट अवधि का समय–खण्ड, जिसके लिए विशेष ऊर्जा मापयंत्र (मीटर) विनिर्दिष्ट विद्युत मानदण्ड तथा मात्राएं अभिलिखित करते हैं तथा जिसका प्रथम समय खण्ड 00.00 घंटे (बजे) से प्रारंभ होता है;

(य–ड) ''सप्ताह'' से अभिप्रेत है सात दिवस की निरंतर कालावधि जो ब्रिटिश कलेण्डर के अनुसार सोमवार को 00.00 घंटे (बजे) से प्रारंभ होकर आगामी रविवार को 24.00 घंटे (बजे) पर समाप्त होती है ।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियां के, जो इस संहिता में प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं, किन्तु जो अधिनियम या भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता या मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता में परिभाषित किये गये हैं, वे ही अर्थ होंगे जो यथास्थिति अधिनियम या भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता या मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, में उनके लिए दिए गए हैं ।

4. अधोसंरचना तथा अपेक्षित क्षमता :–

(1) संबंधित इकाई, इस संहिता के सम्पूर्ण कार्यान्वयन हेतु, यथोचित अधोसंरचना तथा क्षमता का विकास किया जाना सुनिश्चित करेगी ।

(2) इस संहिता के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य भार प्रेषण केन्द्र , आयोग के पूर्व अनुमोदन से उन सुसंगत तथा शेष मामलों से संबंधित एक विस्तृत प्रक्रिया जारी करेगा जिन्हें कि इस संहिता में विस्तृत रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है, और :–

(क) अनुसूचीकरण तथा प्रेषण हेतु विस्तृत प्रक्रिया;

(ख) ऊर्जा मीटरीकरण के लिए विस्तृत प्रक्रिया (जिसमें डाटा संग्रहण, डाटा प्रसंस्करण,डाटा अन्तरण, डाटा परिरक्षण, आदि सम्मिलित हैं)];

(ग) ऊर्जा लेखांकन, मांग पार्श्व प्रबंधन लेखांकन, प्रबाधी लेखांकन तथा व्यवस्थापन (जिसमें समर्पित बैंक खाता प्रबंधन, साख–पत्र प्रबंधन भुगतान तथा प्राप्तियां, सम्मिलित हैं);

(घ) कोई अन्य प्रक्रिया, जिसे कि राज्य भार प्रेषण केन्द्र इस संहिता के सफल कार्यान्वयन हेतु आवश्यक समझे ।

(3) प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु वितरण कम्पनी ऊर्जा लेखांकन दल को विभिन्न गतिविधियों जैसे कि विचलन व्यवस्थापन विद्युत वितरण कंपनियों का ऊर्जा व्यवस्थापन, अन्तर्निहित उपभोक्ता जो लघु–अवधि खुली पहुंच व्यवस्था के अंतर्गत विद्युत का आहरण करते हों तथा अन्य गतिविधियों के के बारे में भी दायित्वों हेतु तत्संबंधी विद्युत नियन्त्रण केन्द्र को पूर्णतया विकसित तथा उपकरणों से सज्जित करेंगी ।

5. अनुसूचीकरण तथा प्रेषण

(1) इस धारा में अनुसूचीकरण तथा प्रेषण के सामान्य सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अनुसूचीकरण की पृष्ठभूमि में मुख्य विचारधारा, दिवस–पश्चात् आधार पर विद्युत प्रदाय तथा मांग का मिलान किया जाना है । इस धारा को समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता, मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2012 के साथ–साथ पढ़ा जाएगा ।

सामान्य सिद्धांत : अनुसूचीकरण :

(2) समस्त अनुसूचीकरण 15–मिनट के समय–खण्ड पर निष्पादित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए अनुसूचीकरण प्रत्येक दिवस हेतु, 00.00 घंटे (बजे) से प्रांरभ होकर 24.00 घंटे (बजे) पर समाप्त होगा जिसे प्रत्येक 15–मिनट की अवधि के 96 बराबर समय–खण्डों में विभाजित किया जाएगा । राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रत्येक क्रेता को आहरण अनुसूची तथा प्रत्येक विक्रेता को अग्रिम रूप से उत्पादन अनुसूची संकलित तथा संसूचित करेगा ।

(3) सुयोग्यता क्रमानुसार परिचालन : विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत वितरण कम्पनियों की ओर से मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, (विद्युत वितरण कंपनियों से विद्युत मांग प्राप्त होने पर) अपनी विद्युत संबंधी मांग एक दिवस पूर्व तथा वास्तविक समय आधार पर वैयक्तिक सुयोग्यता क्रमानुसार प्रस्तुत करेगी, अर्थात् वैयक्तिक विद्युत वितरण कंपनी/मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को आवंटित अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन, राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन, जलविद्युत विद्युत

स्टेशनों को छोड़कर, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक तथा अन्य दीर्घ–अवधि, मध्यम–अवधि, खुली पहुंच तथा राज्यान्तरिक लघु–अवधि खुली पहुंच की ऊर्जा लागत (अर्थात् परिवर्तनीय लागत) के आरोही क्रम में।

(4) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी की गई किसी विद्युत वितरण कंपनी की शुद्ध आहरण अनुसूची, विभिन्न राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशनों, अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशनों के अंशदान, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों, अन्य दीर्घ अवधि तथा मध्यम अवधि खुली पहुंच, कोई द्विपक्षीय संव्यवहार तथा सामूहिक आदान–प्रदान जैसा कि इसके बारे में मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा अन्य विद्युत वितरण कंपनियों की ओर से सहमति व्यक्त की गई हो, का योग होगा ।

(5) प्रत्येक राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन की उत्पादन अनुसूची, प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रेषित की गई मांगों का योग होगी जो उनके स्वत्वाधिकार तक परिसीमित होगी तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अभिव्यक्त किये गये किसी अन्य अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य के मानदण्डों अथवा तकनीकी परिसीमाओं के अध्यधीन होगी।

(6) समस्त राज्यांतरिक इकाईयां अपने आहरण/अन्तःक्षेपण विधि से इस तरह से संधारित रखे जाने के प्रयास करेंगी ताकि वे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन, व्यवस्थापन, क्रियाविधि तथा संबंधित विषय) विनियम, 2014 तथा उसके जारी अनुवर्ती संशोधनों में विनिर्दिष्ट विचलन मात्रा की परिसीमाओं का उल्लंघन न करें ।

(7) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी/पुनरीक्षित की गई उत्पादन अनुसूचियां तथा आहरण अनुसूचियां, संसूचना की असफलता पर विचार किये बिना, निर्दिष्ट समय–खंड से प्रभावशील हो जाएंगी ।

(8) किसी विद्युत उत्पादक द्वारा किये गये अनुसूचित उत्पादन के पुनरीक्षण के संबंध में (समझे गए किसी कार्योत्तर पुनरीक्षण को सम्मिलित करते हुए), विद्युत वितरण कंपनियों के अनुसूचित आहरणों का तत्संबंधी पुनरीक्षण भी किया जाएगा।

(9) अनुसूचियों में किये गये परिवर्तनों के संबंध में, समय–घटक पर यथोचित विचार करते हुए, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संसूचना के अभिलेखन हेतु एक प्रक्रिया (ध्वनि–अभिलेखन के साथ समय–मुद्राकंन द्वारा) विकसित की जाएगी ।

(10) विद्युत उत्पादक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दिवस के दौरान व्यवस्ततम समय पर घोषित क्षमता (डीसी), कम व्यवस्ततम ऑफ–पीक से कम न होगी।
अपवाद : विवशजन्य अवरोध के कारण इकाईयों में विद्युत का अवरोध (ट्रिपिंग होना)/पुनः–समकालन किया जाना)

(11) अनुसूचियों को तैयार करते समय निम्नलिखित विशिष्ट बिन्दुओं पर विचार किया जाएगा :

(क) राज्य भार प्रेषण केन्द्र यह जांच करेगा कि परिणामी विद्युत प्रवाह में किसी प्रकार की कृत्रिम परिस्थितियों का पारेषण दबाव उत्पन्न न करें । दबाव की स्थिति में राज्य भार प्रेषण केन्द्र अपेक्षित सीमा तक अनुसूची को युक्तियुक्त कर संबंधित वितरण कम्पनयों को संसूचित करेगा; तथा

(ख) राज्य भार प्रेषण केन्द्र यह जांच करेगा कि अनुसूचियां, विशेषतः दरों की घटत/बढ़त तथा न्यूनतम तथा अधिकतम उत्पादन स्तरों के अनुपात के संबंध में युक्तियुक्त रूप से परिचालन योग्य हैं । राज्य भार प्रेषण केन्द्र संबंधित वितरण कंपनियों को संसूचित करते हुए अनुसूची को आवश्यक सीमान्तर्गत युक्तियुक्त करेगा। विभिन्न श्रेणियों के स्टेशनों के संबंध में दरों की घटत/बढ़त, तकनीकी आंकड़ों पर आधारित होगी जैसा कि इनके संबंध में उत्पादन स्टेशनों द्वारा अभिपुष्टि की जाए तथा विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा या मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों की ओर से राज्य भार प्रेषण केन्द्र की यथोचित स्वीकृति द्वारा इस हेतु परस्पर सहमति व्यक्त की जाए।

(12) उत्पादन अनुसूचियों को तैयार करते समय, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पारेषण प्रणाली के प्रतिबंधों तथा परिचालनीय सीमाओं मार्जिन (आरक्षित किये गये) के उपबंधों को ध्यान में रखा जाएगा जैसा कि भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तथा मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता में उपबंधित है ।

(13) क्रेताओं की उनकी बाह्य सीमा पर शुद्ध आहरण अनुसूचियों की गणना हेतु, साप्ताहिक संयोजन बिन्दु हानियों की गणना जैसी कि यह राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों तथा हानियों में साझेदारी) विनियम, 2010 (यथा संशोधित) तथा मध्यप्रदेश के साप्ताहिक प्राक्कलित पारेषण वितरण/अन्य हानियां, यदि लागू हों, तो इसे उनके आहरण अनुसूचियों के अनुपात में संविभाजित किया जाएगा । साप्ताहिक हानियों की गणना में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

(क) किसी दिए गए सप्ताह हेतु, राज्य पारेषण हानि = [सप्ताह के दौरान, राज्य ग्रिड में कुल शुद्ध अन्तःक्षेपण (इन्जेक्शन)] – राज्य ग्रिड से सप्ताह में कुल शुद्ध आहरण;

(ख) $n^{वें}$ सप्ताह में हानि की गणना, $(n+1)^{वें}$ सप्ताह के पांचवे दिवस तक की जाएगी;

(ग) हानि के इस आंकड़े को तब $(n+2)^{वें}$ सप्ताह के प्रारंभ से अनुसूचीकरण प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाएगा;

(घ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र $n^{वें}$ सप्ताह की वास्तविक हानि को $(n+2)^{वें}$ सप्ताह में अनुसूचीकरण के प्रयोजन से निकटतम 0.01% तक, पूर्णांक करेगा (उदाहरणतया, 4.705% को 4.71% तक पूर्णांक किया जाएगा, तथा इसी प्रकार 3.442% को 3.44% तक पूर्णांक किया जाएगा, आदि); तथा

ड़) ग्रिड में अपवादित प्रकृति की घटनाओं के परिणाम किसी सप्ताह के दौरान असामान्य रूप से उच्च अथवा निम्न हानियों के रूप में प्रकट हो सकते हैं। यह राज्य में किसी भार में अचानक कमी आ जाने के रूप में या तो मौसम में किसी विक्षोभ के कारण अथवा किसी वृहद जल–विद्युत पावर स्टेशन के मानसून में जलाशय से किसी रेत (सिल्ट)/कचरे की निकासी हेतु, उसे बन्द किये जाने के कारण या किसी मुख्य पारेषण तन्तुपथ आदि में अवरोध के कारण संभव हो सकता है। जहां तक अनुसूचीकरण प्रक्रिया का संबंध है, इन असामान्य सप्ताहों हेतु, हानियों की सामान्यतः ध्यान नहीं दिया जाएगा । इस संबंध में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र का निर्णय अन्तिम माना जाएगा।

(14) जहां राज्य क्षेत्र उत्पादक कंपनी, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक तथा नवकरणीय ऊर्जा उत्पादकों की उपलब्धता की घोषणा की परिशुद्धता (रेसोल्यूशन) 0.1 मेगावाट तथा 0.1 मेगावाट ऑवर की होगी, वहां समस्त स्वत्वाधिकारों, मांगों तथा अनुसूचियों को निकटतम दो दशमलवों तक पूर्णांक किया जाएगा, जिससे 0.01 मेगावाट की परिशुद्धता प्राप्त की जा सकें ।

(15) राज्य भार प्रेषण केन्द्र उपरोक्त खण्डों अर्थात् 5(2) से 5(14) तक के अधीन सम्पूर्ण जानकारी को समुचित रूप से उनकी वैबसाईट पर अभिलेखित करेगा, जिसमें विद्युत उत्पादक स्टेशनों के परामर्शानुसार स्टेशनवार एक्स पावर संयंत्र से उद्भूत दृष्टव्य (फोरसीन) योग्यताएं, अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशनों के स्वत्वाधिकार, वितरण कंपनियों के परामर्शानुसार आहरण अनुसूचियां, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी की गई समस्त अनुसूचियों तथा समस्त पुनरीक्षणों/समस्त ऐसी जानकारियों को अद्यतन कर सम्मिलित करते हुए वैबसाईट पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

सामान्य सिद्वान्त : अनुसूचियों का पुनरीक्षण किया जाना

(16) राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन द्विमाग विद्युत दर से युक्त स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक द्वारा घोषित योग्यता का पुनरीक्षण मय क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार (मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादक पॉवर जनरेटिग कंपनी लिमिटेड के जल विद्युत स्टेशनों को छोड़कर) तथा दिवस की शेष अवधि हेतु हितग्राही(हितग्राहियों)

की मांग को अग्रिम सूचना के साथ अनुज्ञात किया जाएगा । ऐसे प्रकरणों में पुनरीक्षित अनुसूचियां/घोषित योग्यता चौथे समय–खण्ड से प्रभावशील हो जाएगी जिसके संबंध में राज्य भार प्रेषण केन्द्र में पुनरीक्षण हेतु अनुरोध सर्वप्रथम प्राप्त किया गया है ।

(17) राज्य पारेषण इकाई अथवा राज्यान्तरिक पारेषण में सन्निहित अन्य कोई पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (जैसा कि इसे राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रमाणित किया जाए) के स्वामित्व वाली पारेषण प्रणाली, संबद्ध स्विचयार्ड अथवा उपकेन्द्रों में किसी प्रतिबन्ध, अवरोध, इसके असफल होने अथवा परिसीमाओं के कारण विद्युत की निकासी में कोई ऐसा व्यवधान होने की दशा में, जिसके कारण विद्युत उत्पादन में कमी की जाना आवश्यक हो, राज्य भार प्रेषण केन्द्र अनुसूचियों को पुनरीक्षित करेगा, जो चौथे समय–खंड से प्रभावशील होगा, जिसकी गणना ऐसे समय–खंड को प्रथम मानकर की जाएगी जिसमें विद्युत की निकासी में व्यवधान सर्वप्रथम होना पाया गया हो। इसके अतिरिक्त, ऐसी किसी घटना के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय समय–खंड के दौरान, राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन/स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों का अनुसूचित उत्पादन वास्तविक उत्पादन के बराबर पुनरीक्षित किया गया माना जाएगा तथा वितरण कंपनियों के अनुसूचित आहरण वास्तविक आहरणों के बराबर पुनरीक्षित किये गये माने जाएगे।

(18) ग्रिड में किसी प्रकार का विक्षोभ होने की दशा में, समस्त राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशनों /स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों का अनुसूचित उत्पादन तथा वितरण कम्पनियों का अनुसूचित आहरण ग्रिड विक्षोभ द्वारा प्रभावित समस्त समय–खंडों हेतु उनके वास्तविक उत्पादन/आहरण के बराबर पुनरीक्षित किया गया माना जाएगा। ग्रिड विक्षोम तथा इसकी अवधि का प्रमाणीकरण क्षेत्रीय भार प्रेषक केन्द्र/राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जाएगा ।

(19) यदि, किसी भी समय राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा यह पाया जाता है कि प्रणाली के बेहतर प्रचालन के हित में अनुसूचियों को पुनरीक्षण किये जाने की आवश्यकता है, तो ऐसा वह स्वयं के द्वारा भी कर सकेगा तथा ऐसे मामलों में, पुनरीक्षित अनुसूचियां चौथे समय–खण्ड से प्रभावशील हो जाएंगी तथा इस हेतु, उस समय–खंड को प्रथम माना जाएगा जिसमें कि राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा, इस हेतु पुनरीक्षित अनुसूची सर्वप्रथम जारी की गई हो ।

(20) यदि किसी अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन से कोई पुनरीक्षण प्राप्त हुआ हो, तो ऐसी दशा में क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र वास्तविक समय–आधार पर जानकारी को (केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के विनियमों/आदेशों की अपेक्षाओं के अनुसार) तत्क्षण प्रसारित करेगा जिसके अंतर्गत अनुसूची हेतु सुसंगत जानकारी संलग्न की जाएगी जिसके आधार पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र पुनरीक्षण की कार्यवाही समानान्तर रूप से करेगा । क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु पुनरीक्षण का कार्यान्वयन समय एक समान रहेगा।

कार्यान्वित की गई अनुसूचियां

(21) प्रचालन तिथि की समाप्ति पर 24.00 घंटे (बजे) पर, दिवस के दौरान अन्तिम रूप से कार्यान्वित की गई अनुसूची, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा (उत्पादक स्टेशनों की प्रेषण अनुसूची में वस्तुस्थिति से पूर्व के समस्त परिवर्तनों तथा वितरण कम्पनियों की आहरण अनुसूची पर विचार करते हुए) तीन दिवस के भीतर या पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र की कार्यान्वित सूची प्राप्त होने पर जारी कर दी जाएगी । इसके अतिरिक्त, यदि पश्चिमी क्षेत्र पॉवर समिति द्वारा कार्यान्वित सूची का कार्योत्तर पुनरीक्षण किया जाता है तो कार्यान्वित अनुसूची को राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पुनरीक्षित भी किया जा सकता है । ये अनुसूचियां वाणिज्यिक लेखांकन का आधार बनेंगी । प्रत्येक राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों हेतु औसत एक्स बस योग्यता की गणना राज्य भार प्रेषण केन्द्र को वस्तुस्थिति पूर्व के परामर्श के आधार पर की जाएगी ।

(22) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी किये गये अनुसूचीकरण तथा अन्तिम रूप से कार्यान्वित की गई अनुसूचियों हेतु प्रक्रिया समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों हेतु किसी जांच/सत्यापन के लिये पांच दिवस की अवधि हेतु खुली रहेगी । किसी प्रकार की त्रुटि/चूक पाए जाने की दशा में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र अविलंब इसकी जांच करेगा तथा इसमें आवश्यक सुधार करेगा ।

समयावली तथा उत्तरदायित्व सारणी (मध्यप्रदेश विद्युत सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता)

समय (तक प्रस्तुत कर दी जाए)	प्राथमिक गतिविधि	उत्तरदायित्व
10.00 घंटे (बजे)	(एक) पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को मध्यप्रदेश राज्य हेतु प्रत्येक अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन में मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर हकदारी आगामी दिवस हेतु 00. 00 घंटे से 24.00 घंटे तक, 15–मिनट के समय–खण्ड हेतु सूचित करेगा;	पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केंद्र
	(दो) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड राज्य भार प्रेषण केन्द्र को आगामी दिवस हेतु 00.00 घंटे से 24.00 घंटे के मध्य की अवधि बाबत प्रत्येक 15–मिनट के समय–खण्ड में संभावित एक्स–पावर संयंत्र मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर क्षमताओं की अनुशंसा करेगी;	मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड/ उत्पादन नियंत्रण केन्द्र
	(तीन) स्वतंत्र विद्युत उत्पादक तथा पात्र नवकरणीय ऊर्जा उत्पादक , राज्य भार प्रेषण केन्द्र को स्टेशनवार एक्स विद्युत संयंत्र उनके मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर अन्तःक्षेपों के बारे में आगामी दिवस हेतु 00.00 घंटे से 24.00 घंटे की अवधि बाबत स्वतंत्र विद्युत उत्पादक नवकरणीय विद्युत उत्पादकों को प्रत्येक 15–मिनट समय–खण्ड हेतु सूचना देंगे;	स्वतंत्र विद्युत उत्पादक/ नवकरणीय ऊर्जा उत्पादकों
	(चार) इन्दिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना, अंशदान वाले स्टेशन तथा अन्य कोई स्टेशन, जो उपरोक्त सरल क्रमांक (एक) (दो) तथा (तीन) के अंतर्गत नहीं आते, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को तत्संबंधी एक्स–विद्युत संयंत्र मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर की संभावित क्षमताओं को प्रत्येक 15–मिनट के समय–खण्ड में आगामी दिवस को 00.00 घंटे पर प्रारंभ होकर 24.00 घंटे पर समाप्त होने वाली अवधि बाबत सूचना देंगे ।	तत्संबंधी स्टेशन

10.30 घंटे (बजे)	(एक) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, समस्त विद्युत उत्पादक स्टेशनों से कुल एक्स–पावर संयंत्र उपलब्धता मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर में संकलित करेगा (दो) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, स्टेशनवार तथा प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी के कुल मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर स्वत्वाधिकारों की गणना आगामी दिवस हेतु, प्रत्येक 15 मिनट के समय–खण्ड हेतु करेगा तथा इसे मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को सूचित करेगा (तीन) प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी उसकी कुल मेगावाट मांग प्रत्येक 15 मिनट के समय–खण्ड हेतु मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को आगामी दिवस हेतु उसके दिवस–पूर्व भार पूर्वानुमान के अनुसार वास्तविक राज्य पारेषण हानियों को सकलबद्ध करते हुए करेगी ।	राज्य भार प्रेषण केन्द्र राज्य भार प्रेषण केन्द्र मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड / तत्संबंधी विद्युत वितरण कंपनी
11.00 घंटे (बजे)	(एक) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड राज्य हेतु समग्र रुप से विद्युत की कमी तथा आधिक्य की गणना विद्युत वितरण कंपनियों के परामर्श से करेगी ; (दो) मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड विद्युत के संव्यवहार के बारे में विद्युत विनिमय केन्द्रों के माध्यम से दिवस पूर्व/अवधि पूर्व आधार पर निर्णय लेगी ।	मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
13.30 घंटे (बजे)	(एक) मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड विद्युत विनिमय केन्द्रों से प्रावधिक लेन–देन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्य हेतु सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण समग्र रुप से समस्त विद्युत संयत्रों हेतु, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को आवंटित विद्युत संयंत्रों को सम्मिलित करते हुए करेगी; (दो) प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी के लिए मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (प्रत्येक समय–खण्ड के लिए) निम्नानुसार तुलना करेगी :– (क) किसी प्रदत्त विद्युत वितरण कंपनी हेतु कुल एक्स पावर प्लांट मेगावाट स्वत्वाधिकार;	मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, विद्युत वितरण कंपनियों के परामर्श से

	(ब) किसी निर्दिष्ट वितरण कंपनी हेतु कुल एक्स पावर प्लांट मेगावाट मांग ; (तीन) मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड उनके द्वारा किये गये आवंटन को प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी को प्रत्येक 15 मिनट के समय–खण्ड हेतु, उनकी विद्युत आवश्यकतानुसार आवंटित करेगी	
14.00 घंटे (बजे)	मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड राज्य भार प्रेषण केन्द्र को विद्युत वितरण कम्पनीवार उसके प्रत्येक विद्युत उत्पादक स्टेशन पर एक्स–विद्युत संयंत्र मेगावाट मांग, मय दीर्घ–अवधि द्विपक्षीय लेन–देन, मध्यम अवधि लेन–देन, अनुमोदित किये गये लघु–अवधि द्विपक्षीय लेन–देन तथा विद्युत विनिमय केन्द्रों के माध्यम से सामूहिक लेन–देन संसूचित करेगी	मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
15.00 घंटे (बजे)	राज्य भार प्रेषण केन्द्र,पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र को प्रत्येक अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन/स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों संबंधी मप्र राज्य की समन्वित मांग मय अन्य दीर्घ अवधि द्विपक्षीय लेन–देन, मध्यम–अवधि द्विपक्षीय लेन–देन संसूचित करेगा ।	राज्य भार प्रेषण केन्द्र,
17.00 घंटे (बजे)	पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को मध्यप्रदेश राज्य की आहरण अनुसूची एक्स विद्युत संयत्र आधार पर केन्द्रीय पारेषण इकाई–राज्य पारेषण इकाई अंतर्मुख पर आगामी दिवस हेतु 15–मिनट के प्रत्येक समय–खंड हेतु अवगत करायेगा ।	पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
17.30 घंटे (बजे)	(एक) मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड विद्युत प्रदाय के बारे में विद्युत विनिमय केन्द्रों से अन्तिम लेन–देन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्य हेतु समग्र रुप से समस्त विद्युत संयत्रों हेतु, मय मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को आवंटित विद्युत संयंत्रों को शामिल करते हुए सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण संचालित करेगी : (दो) प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी हेतु, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (प्रत्येक समय–खण्ड हेतु) निम्नानुसार तुलना करेगी : क. किसी प्रदत्त विद्युत वितरण कंपनी हेतु विद्युत संयंत्र से उदभूत मेगावाट स्वत्वाधिकार; ख. किसी प्रदत्त विद्युत वितरण कंपनी हेतु विद्युत संयंत्र से उदभूत मांग ; (तीन) मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड उनके द्वारा किये गये आवंटन को प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी को प्रत्येक 15 मिनट के समय–खण्ड हेतु, उनकी विद्युत आवश्यकतानुसार आवंटित करेगी ।	मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड विद्युत वितरण कंपनियों के परामर्श से
18.00 घंटे (बजे)	(एक) राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रत्येक विक्रेता की एक्स–पावर प्लांट मेगावाट उत्पादन अनुसूचियों तथा प्रत्येक क्रेता की मेगावाट आहरण अनुसूचियों को (एक्स–विद्युत संयंत्र तथा राज्य पारेषण इकाई क्रेता अर्न्तमुख पर) अन्तिम रूप देगा (दो) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, तत्संबंधी विक्रेता को उत्पादन अनुसूचियों को संसूचित करेगा ; (तीन) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड /तत्संबंधी क्रेता को आहरण अनुसूचियां संसूचित करेगा	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
21.30 घंटे (बजे)	राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन/स्वतंत्र विद्युत उत्पादक/विद्युत वितरण कम्पनियां राज्य भार प्रेषण केन्द्र विद्युत वितरण कंपनियों को उपरोक्त अनुसूचियां में किये जाने वाले परिवर्तन, यदि कोई हों, के संबंध में सूचित कर सकेगी ।	राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन / विद्युत वितरण कम्पनियों
22.00 घंटे	राज्य भार प्रेषण केन्द्र, पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र को	राज्य भार प्रेषण केन्द्र,

(बजे)	अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशनों/स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से संबंधित समस्त परिवर्तनों के संबंध में तथा अन्तर्राज्यीय लेन–देन (यदि कोई हों) के संबंध में सूचित करेगा	
23.30 घंटे (बजे)	पश्चिमी भार प्रेषण केन्द्र से 23.00 घंटे (बजे) पर मध्यप्रदेश राज्य की अन्तिम आहरण अनुसूची की प्राप्ति उपरान्त तथा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उल्लिखित समस्त परिवर्तनों पर विचारोपरांत, राज्य भार प्रेषण केन्द्र,तत्संबंधी विक्रेता को अन्तिम उत्पादन अनुसूचियां तथा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड /तत्संबंधी क्रेता को अन्तिम आहरण अनुसूचियां जारी करेगा ।	राज्य भार प्रेषण केन्द्र,
प्रचालन दिवस के दौरान	विद्युत वितरण कंपनियों या मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों की ओर से अपनी मांग प्रस्तुत करने के बाद या विद्युत उत्पादकों द्वारा अपनी पुनरीक्षित घोषित क्षमताप्रस्तुत करने के बाद, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, आहरण अनुसूची /अन्तःक्षेपण अनुसूची को विक्रेता/क्रेता संहिता के प्रावधानों के अनुसार पुनरीक्षित करेगा । पात्र नवकरणीय विद्युत उत्पादकों की अन्तःक्षेपण अनुसूचियों को भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तथा नवकरणीय विद्युत उत्पादन विषय पर केन्द्रीय विद्युत् विनियसमक आयोग/मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग विनियमों/आदेशो के प्रावधानों के अनुसार (यथासंशोधित) राभाप्रेके द्वारा ऐसे विद्युत उत्पादकों या समन्वयन अभिकरण से मांग प्राप्त होने पर पुनरीक्षित किया जाएगा	मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड / विद्युत वितरण कंपनियां/ विक्रेता/ क्रेता/ राज्य भार प्रेषण केन्द्र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक राज्य भार प्रेषण केन्द्र
तीन दिवस के भीतर	राज्य भार प्रेषण केन्द्र, तीन दिवस के भीतर या पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र से कार्यान्वित अनुसूचियां प्राप्त होने पर राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन/स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों की कार्यान्वित अनुसूचियों तथा अन्तिम एक्स–विद्युत संयंत्र योग्यताएं तैयार करेगा ।	राज्य भार प्रेषण केन्द्र,

* मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के समस्त जल–विद्युत स्टेशन मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2012 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार दिवस पूर्व घोषित क्षमता प्रस्तुत करेंगे ।

6. ऊर्जा मापयंत्र प्रणाली :–

खुली पहुॅच उपभोक्ताओं तथा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादकों के परिसरों या पारेषण इकाई के अति उच्च दाब उपकेन्द्रों में उपलब्धता आधारित विद्युत दर मापयन्त्रों तथा जांच मापयंत्रों की लागत खुली पहुंच उपभोक्ताओं तथा नवरकणीय ऊर्जा उत्पादकों द्वारा वहन की जाएगी । स्थापित किये जानें वाले मापयंत्रों के प्रकार, मापयंत्र स्थापना योजना, मापयंत्र स्थापना योग्यता, परीक्षण तथा अंशांकन अर्हताएं तथा मीटरीकृत आंकड़ों के संग्रहण तथा प्रसार, को मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मापयंत्रों की स्थापना तथा परिचालन के बारे में अधिसूचित विनियमों तथा अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार निर्दिष्ट किये जाएंगे । समस्त संबंधित राज्यान्तरिक इकाईयां (जिनके परिसरों में विशेष ऊर्जा मापयंत्र स्थापित किये गये हों) द्वारा एबीटी मापयंत्र आंकड़े रा भा प्रे के को सूदूर आकंड़े सम्प्रेषण हेतु स्वचालित मापयंत्र वाचन सुविधा प्रदान की जाएगी । यदि विशेष ऊर्जा मापयंत्र के साप्ताहिक आंकड़े रा भा प्रे के पर स्थापित की गई स्वचालित मापयंत्र वाचन प्रणाली पर प्राप्त न होते हों, तो इसे डाऊनलोड किया जाएगा तथा इसे ए बी टी मीटर या इकाईयां जिन्हें ऊर्जा मापयंत्र वाचन लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है, के स्वामी द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र, को सम्प्रेषित किया जाएगा । सम्पूर्ण साप्ताहिक ए बी टी मापयंत्र आंकड़े या स्वचालित मापयंत्र वाचन प्रणाली या मापयंत्र वाचन उपकरण द्वारा हस्तचालित आंकड़ा डाऊनलोड न होने की दशा में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, मध्यप्रदेश राज्य की पारेषण हानियों, राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा तथा राज्य प्रबाधी लेखा को तैयार कर मासिक आधार पर जारी करेगा ।

(2) राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रत्येक विक्रेता के शुद्ध किलोवाट ऑवर अंतःक्षेप की गणना करने तथा प्रत्येक क्रेता के उपरोक्त मापयंत्र के आधार पर 15 मिनट समय–खण्डवार वास्तविक शुद्ध आहरण, तथा राज्य ऊर्जा लेखा तैयार किये जाने हेतु उत्तरदायी होगा। समस्त 15 मिनट–वार ऊर्जा आंकड़े (शुद्ध अनुसूचित किये गये, वास्तविक रूप से मीटरीकृत किये गये तथा विचलन) निकटतम शून्य दशमलव स्थान तक पूर्णांक किए जाएंगे । राज्य भार प्रेषण द्वारा निष्पादित की गई समस्त गणनाएं समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों की जांच/सत्यापन हेतु पंद्रह (15) दिवस की अवधि हेतु, अवलोकनार्थ रखी जाएंगी । यदि ऊर्जा मीटरीकरण, राज्य ऊर्जा लेखे, राज्य विचलन लेखे तथा राज्य प्रबाधी लेखे में किसी प्रकार की त्रुटि इंगित की जाती हो, तो ऐसी दशा में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा मामले की सम्पूर्ण छानबीन की जाएगी तथा उसके द्वारा इसे पंद्रह दिवस के भीतर सुधार किया जाएगा ।

(3) मुख्य मापयंत्र की अनुपलब्धता तथा जांच मापयंत्र के मापयंत्र/मापयंत्र उपकरण के विफल होने की दशा में, रा भा प्रे के लुप्त मापयंत्र की उपलब्धता को, जैसा कि इसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के (समय–समय पर यथासंशोधित) में परिभाषित किया गया है, आंकलन करेगा । अन्तर्मुख मीटरीकरण बिन्दु पर स्थापित समस्त प्रकार के ए बी टी मापयंत्रों के विफल होने की दशा में रा भा प्रे के लुप्त आंकड़ों का आंकलन निम्न आधार पर करेगा :

(एक) उत्पादक स्टेशनों हेतु – रा भा प्रे के के पास उपलब्ध प्रति घंटा उत्पादन आंकड़ों के आधार पर ;

(दो) विद्युत वितरण कंपनियों के अंतर्मुख बिन्दुओं पर इसके लिये आंकड़ों का आंकलन इसी अन्तर्मुख बिन्दु पर स्थापित किये गये ए बी टी मापयंत्र के पूर्व सप्ताह के लिये उपलब्ध आंकड़े के आधार पर किया जाएगा व इसे बाजू में स्थापित किये गये ट्रांसफार्मरों/संभरक के भार प्रतिदर्श से संरेखित समायोजित किया जाएगा ;

(तीन) खुली पहुंच क्रेताओं हेतु – खुली पहुंच क्रेताओं के प्रकरण में, यदि ए बी टी मापयंत्र आंकड़े किसी मुख्य मापयन्त्र/जांच मापयंत्र/वैकल्पिक मापयंत्र या फिर किसी अन्य मापयंत्र के बारे में उपलब्ध न हों तो रा भा प्रे के विचलन प्रभारों की गणना करते समय वास्तविक आंकड़ों को अनुसूची द्वारा स्थापित करेगा ।

7. ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन

राज्य ऊर्जा लेखा (एस ई ए)

(1) राज्य भार प्रेषण केन्द्र अनंतिम मासिक राज्य ऊर्जा लेखा तैयार करेगा तथा आगामी माह के 7वें दिवस तक अथवा पश्चिम क्षेत्र ऊर्जा समिति द्वारा क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा के जारी होने के पश्चात् की दिनांक में जारी (समस्त अंतर्राज्यीय सत्ता को) करेगा । राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जब कभी अपेक्षित हो राज्य ऊर्जा लेखे को समय–समय पर पुनरीक्षित किया जाएगा । राज्य ऊर्जा सेवा में व्यापक रूप में निम्नलिखित जानकारी होगी :

(क) प्रत्येक राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन/स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक हेतु माह में सफल संयंत्र उपलब्धता कारक पी ए एफ एम का ब्यौरे प्रतिशत में;

(ख) राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन/स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक द्वारा घोषित क्षमता की गलत–घोषणा के ब्यौरे (यदि कोई हो);

(ग) अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन तथा राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन/स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक से वितरण अनुज्ञप्तिधारियों (डिस्कॉम) को अनुसूचित ऊर्जा संबंधी ब्यौरे;

(घ) सार्वजनिक मीटर केन्द्र पर नवकरणीय ऊर्जा उत्पादकों के ऊर्जा अन्तःक्षेपण, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा क्रय की गई ऊर्जा का तथा क्रमशः वितरण कम्पनियों डिस्कॉम), मध्यप्रदेश ऊर्जा प्रसारण लिमिटेड द्वारा (विक्रय के रूप में) दी गई वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) को स्वयं के उपयोग/तृतीय पक्ष को विक्रय के लिए भेजी की गई ऊर्जा के ब्यौरे;

ड़) अन्य कोई विवरण, जिनके संबंध में राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य ऊर्जा लेखा को पूर्ण करने के लिए उचित समझे ।

(2) विद्युत वितरण कम्पनियां (मध्यप्रदेश ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड), केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की सुसंगत अधिसूचनाओं तथा आदेशों के अनुसार, संबंधित अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन को अनुसूचित प्रेषण हेतु (एक्स–पावर संयंत्र आधार पर), संयंत्र उपलब्धता तथा ऊर्जा प्रभारों तथा संयंत्र प्रभार कारक (पी एल एफ) प्रोत्साहन (यदि कोई हो) से तत्संबंधी क्षमता प्रभारों का भुगतान करेंगी । इन प्रभारों से संबंधित देयक तत्संबंधी अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन द्वारा प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी को (मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से) मासिक आधार पर जारी किये जाएंगे ।

(3) विद्युत वितरण कम्पनियां (मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से), मध्यप्रदेश विनियामक आयोग की सुसंगत अधिसूचनाओं तथा आदेशों के अनुसार संबंधित राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन/स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक को अनुसूचित प्रेषण हेतु (एक्स–पावर संयंत्र आधार पर), संयंत्र उपलब्धता तथा ऊर्जा प्रभारों से तत्संबंधी क्षमता प्रभारों का भुगतान करेगी। इन प्रभारों से संबंधित देयक राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन द्वारा प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी को (मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से) मासिक आधार पर जारी किये जाएंगे ।

राज्य डी एस एम लेखा (एस डी एस एम ए)

(4) राज्य भार प्रेषण केन्द्र (समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों को) साप्ताहिक राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा (डीएसएम) सप्ताह के अन्तिम दिन से दस दिवस के भीतर तैयार कर समस्त अंतर्राजीय इकाईयों को जारी करेगा तथा यदि आवश्यक हो तो बाद की किसी तिथि को पुनरीक्षित भी करेगा । राज्य भार प्रेषण केन्द्र, द्वारा विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा अधिनियम, ''केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (डेवीएशन सेटलमेंट मैकेजिम एण्ड रिलेटेड मेटर्स) रेग्युलेशन, 2014'' तथा इसमें अनुवर्ती जारी किये जाने वाले संशोधनों के अनुसार तेयार किया जाएगा । विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखों में व्यापक तौर पर निम्न जानकारी सम्मिलित होंगी :

(क) वर्तमान में प्रचलित विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि टैरिफ संरचना के ब्यौरे;

(ख) प्रत्येक राज्यान्तरिक इकाई के दिवसवार तथा कुल विचलन संव्यवहारों के विवरण (विवरण में सम्मिलित होंगे, अनुसूचित ऊर्जा, वास्तविक ऊर्जा, विचलन प्रभार (असमायोजित) तथा विचलन प्रभार (संमायोजित), परिसीमन राशि तथा अतिरिक्त विचलन प्रभार);

(ग) संक्षेपिका सारणी, जिसमें बाईं ओर समस्त भुगतान करने वाली इकाईयों की सूची (मय उनके द्वारा भुगतान किये जाने वाली शुद्ध राशि संबंधी जानकारी के) दर्शाई जाएंगी तथा दायीं ओर समस्त प्राप्तिकर्ता इकाईयों की सूची (मय उनके द्वारा प्राप्त की जाने वाली शुद्ध राशि संबंधी जानकारी के) दर्शाई जाएगी;

(घ) पारेषण के प्रतिबंधों तथा ग्रिड विक्षोभ के कारण विचलन के समय–खंडों के स्थगन के ब्यौरे;

(ड.) अन्य कोई ब्यौरे, जिन्हें राज्य भार प्रेषण विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा को पूर्ण किये जाने हेतु उचित समझता हो ।

(5) मध्यप्रदेश राज्य द्वारा क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि संकोष लेखा में भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य विचलन की समन्वित विचलन राशि को पश्चिमी क्षेत्र ऊर्जा समिति (वेस्टर्न रीजन पावर कमेटी–डब्लू आर पी सी) द्वारा तैयार तथा प्रसारित किये गये साप्ताहिक क्षेत्रीय डी एस एम लेखा से प्राप्त किया जाएगा ।

(6) विचलन की गणना हेतु प्रत्येक क्रेता हेतु वास्तविक आहरण तथा अनुसूचित आहरण की तुलना की जाएगी । प्रत्येक क्रेता की विचलन ऊर्जा की गणना 15–मिनट आधार पर वास्तविक आहरण में से

अनुसूचित आहरण को घटा कर की जाएगी । इसी प्रकार, प्रत्येक विक्रेता की विचलन ऊर्जा की गणना 15–मिनट आधार पर वास्तविक अन्तःक्षेप में से अनुसूचित अन्तःक्षेप घटाकर की जाएगी । विचलन ऊर्जा को तत्पश्चात विचलन प्रभार में परिवर्तन प्रत्येक समय–खण्ड की विचलन दर पर जो कि उक्त समय–खण्ड में औसत ग्रिड आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) से तत्संबंधी है, से गुणा करते हुए किया जाएगा । सप्ताह के दौरान इसी प्रकार की गणना, समस्त समय–खण्डों हेतु भी की जाएगी । विचलन व्यवस्थापन नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादकों को लागू नहीं होगा, केवल उन्हें छोड़कर जो भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता द्वारा निर्दिष्ट के परिशिष्ट–1 के पैरा–5 तथा अनुवर्ती जारी किये गये संशोधनों के अंतर्गत नवीकरणीय विनियामक निधि क्रियाविधि प्रावधान के अन्तर्गत सम्मिलित हों।

(7) राज्य में सक्रिय ऊर्जा संव्यवहार हेतु निम्नलिखित नियम लागू होंगे :

(ए) राज्यान्तरिक इकाई द्वारा अधिक विद्युत आहरण हेतु (+) भुगतान रकम;

(बी) राज्यान्तरिक इकाई द्वारा कम विद्युत आहरण हेतु (-) प्राप्ति योग्य रकम;
(ग) राज्यान्तरिक इकाई द्वारा कम विद्युत उत्पादन हेतु (+) भुगतान योग्य रकम ;

(घ) राज्यान्तरिक इकाई द्वारा अधिक विद्युत उत्पादन हेतु (-) प्राप्ति योग्य रकम ;

विद्युत के विचलन संबंधी उपरोक्त प्रभारों के अतिरिक्त, विचलन हेतु, अतिरिक्त प्रभार विद्युत के आधिक्य–अन्तःक्षेपण कम आहरण के लिए प्रत्येक ऐसे समय–खण्ड पर किसी विक्रेता/क्रेता द्वारा, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म) विनियम, 2014 समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसार ग्रिड आवृत्ति 50.10 हर्ट्ज तथा इससे अधिक हो, लागू होंगे ।

(8) किसी निर्दिष्ट दिवस हेतु, प्रत्येक राज्यान्तरिक इकाई द्वारा भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य राशि तथा मध्यप्रदेश राज्य द्वारा क्षेत्रीय विचलन राशि (भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य) को कुल भुगतान–योग्य तथा कुल प्राप्ति–योग्य राशियों के औसत से मिलान किया जाएगा । किसी निर्दिष्ट सप्ताह हेतु, राज्यान्तरिक इकाई हेतु शुद्ध विचलन प्रभारों भुगतान–योग्य (+)/प्राप्ति–योग्य (–) राशि सप्ताह के समस्त दिवसों हेतु मिलान किये गये विचलन प्रभार्य भुगतान–योग्य (+)/प्राप्ति–योग्य (–) का अंकगणितीय योग होगा । राज्यान्तरिक इकाईयों के विचलन प्रभारों का असंतुलन व्यवस्थापन राज्य भार प्रेषण केन्द्र, द्वारा परिशिष्ट के अनुसार किया जाएगा।

(9) किसी राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन/स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों से प्राप्त की गई अस्थाई ऊर्जा को विचलन के रूप में लेखांकित किया जाएगा तथा इसका भुगतान राज्य विचलन व्यवस्थापन (डी एस एम) से क्रियाविधि कोष लेखा से प्रयोज्य आवृत्ति से संबद्ध दर के अनुसार, मध्यप्रदेश ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड के जल विद्युत स्टेशनों को छोड़कर, किया जाएगा । इसके अतिरिक्त ग्रिड से कमीशन की स्थिति के अधीन उत्पादन इकाई द्वारा आहरित प्रारंभ करने हेतु ऊर्जा, केन्दीय विद्युत विनियमाक आयोग से अनुमोदित प्रक्रियां के जारी प पत्र क्रमांक एल 1/(93)/2009/केन्द्रीय विनियामक आयोग, दिनांक 12.08.2014 तथा समय–समय पर उसके संशोधनों के अनुसार विचलन क्रियाविधि के रूप में व्यवस्थापित किए जाएंगे ।

(10) अन्तर्राज्यीय खुली पहुंच क्रेताओं की असंतुलित मात्राएं (यदि वे विद्यमान हों), जो कि राज्य प्रणाली में आरोपित हैं, का व्यवस्थापन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण में खुली पहुंच) क्रियाविधि–विनियम, 2008 तथा उसके संशोधनों में विनिर्दिष्ट की गई क्रियाविधि के अनुसार किया जाएगा । जब तक कि आयोग राज्यान्तरिक खुली पहुंच क्रेताओं हेतु (यदि वे विद्यमान हों) असंतुलन की मात्राओं के व्यवस्थापन के विवरण विनिर्दिष्ट नहीं कर देता है, राज्यान्तरिक इकाई हेतु, विचलन दर क्षेत्रीय इकाई की सीमा पर विचलन दर का 105 प्रतिशत (विद्युत के अधिक आहरण अथवा कम उत्पादन हेतु) तथा 95 प्रतिशत (विद्युत के कम आहरण तथा अधिक उत्पादन हेतु) होगी ।

(11) विचलन प्रभारों का व्यवस्थापन, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संचालित किये जाने वाले राज्य डी एस एम संकोष लेखा के माध्यम से किया जाएगा । राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (जिसकी शाखा कार्यालय जबलपुर में हो) के साथ एक पृथक बैंक खाता खोला तथा संधारित किया जाएगा ।

(12) विचलन प्रभारों के भुगतान को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी तथा संबंधित इकाई को दर्शाई गई राशि का भुगतान राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा विवरण–पत्र जारी होने के दस दिवस के भीतर राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संचालित किये जाने वाले राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि संकोष लेखा में करना होगा । वह इकाई जिसे विचलन प्रभारों से संबंधित भुगतान प्राप्त करना हो, उसे तत्पश्चात यह भुगतान ''राज्य विचलन संकोष लेखा'' में भुगतान प्राप्त होने की तिथि से दो कार्य दिवस के भीतर ''राज्य विचलन कोष लेखा निधि'' से किया जाएगा। विचलन तथा अतिरिक्त प्रभारों हेतु प्रभारों के मुख्य घटक हेतु पृथक लेखा पुस्तकें संधारित की जाएंगी।

(13) यदि विचलन प्रभारों के विरूद्ध भुगतानों में दो दिवस से अधिक का विलंब होता हो, अर्थात् राज्य विचलन लेखा जारी होने से बारह दिवस से अधिक का, तो व्यतिक्रमी इकाईयों को 0.04 प्रतिशत के साधारण ब्याज प्रति दिवस की दर से विलंब हेतु भुगतान करना होगा। इस प्रकार एकत्रित की गई ब्याज राशि का संदाय उन इकाईयों को किया जाएगा, जिनके द्वारा यह राशि प्राप्त की जानी थी तथा जिनके भुगतान के संबंध में विलंब हो चुका हो।

(14) समस्त राज्यान्तरिक इकाईयां जिनके द्वारा किसी पूर्व तिमाही के दौरान किसी भी समय विचलन से संबंधित प्रभारों के भुगतान में चूक की गई हो, जिनमें इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार भी सम्मिलित है, को एक साख पत्र खाता खोलना अनिवार्य होगा, जिसकी राशि वर्ष की पूर्व तिमाही में विचलन हेतु औसत भुगतान योग्य सप्ताहिक देयता के 110 प्रतिशत के बराबर होगी। यह खाता राज्य भार प्रेषण केन्द्र, द्वारा संधारित किये जाने वाले कोष लेखा के पक्ष में, जबलपुर शाखा कार्यालय स्थित किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खोला जाएगा।

परन्तु, –

(एक) यदि कोई राज्यान्तरिक इकाई विचलन से संबंधित प्रभारों, जिसमें विचलन से संबंधित अतिरिक्त प्रभार सम्मिलित हैं, का भुगतान वर्ष के दौरान चालू तिमाही के दौरान इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किए गए समय में करने में चूक करती है, तो ऐसे में उसे यथास्थिति (इकाई को) मध्यप्रदेश ऊर्जा प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड या राज्य भार प्रेषण केन्द्र के पक्ष में कोष लेखा एक साख पत्र साप्ताहिक बकाया देयता के 110 प्रतिशत के बराबर खोलना अनिवार्य होगा।

(दो) यदि साख पत्र की राशि पूर्व साख पत्र राशि से 50 प्रतिशत से अधिक हो जाए तो साख पत्र की राशि को त्रैमास के दौरान किसी भी सप्ताह के दौरान भुगतान–योग्य साप्ताहिक देयता के 110 प्रतिशत के बराबर बढ़ा दिया जाएगा।
उदाहरण यदि किसी राज्यान्तरिक इकाई की विचलन बाबत औसत भुगतान–योग्य साप्ताहिक देयता वर्ष 2009–10 के दौरान रू. 20 करोड़ हो तो राज्यान्तरिक इकाई को वर्ष 2010–11 में रू. 22 करोड़ का एक साख पत्र खाता खोलना होगा। यदि वर्ष 2010–11 के दौरान साप्ताहिक भुगतान देयता रू. 35 करोड़ हो, जो वर्ष के पिछले त्रैमास के दौरान रू. 30 करोड़ की औसत भुगतान साप्ताहिक देयता से अधिक हो, तो संबंधित राज्यान्तरिक इकाई साख पत्र की राशि में रू. 16.5 करोड़ जोड़कर, इसे रू. 38.5 करोड़ (1.1* रू. 35.0) तक बढ़ा देंगी।

(तीन) ''राज्य विचलन कोष लेखा निधि'' में, विचलनों के प्रभारों के भुगतान में, विवरण पत्र जारी होने की तिथि से बारह दिवस के भीतर भुगतान करने में चूक किये जाने की दशा में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को चूक की सीमा के अन्तर्गत संबंधित इकाई का साखपत्र भुनाने का अधिकार होगा तथा संबंधित इकाई को साख पत्र की राशि को तीन दिवस के भीतर प्रतिपूर्ति करनी होगी।

राज्य प्रबाधी लेखा (एस आर ए)

(15) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों को भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ग्रिड संहिता की अर्हताओं का प्रतिपालन करते हुए, के पश्चात बाद की तारीख में साप्ताहिक राज्य प्रबाधी लेखा सप्ताह के अन्तिम दिवस से दसवें दिवस के भीतर अथवा पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केंन्द्र वैबसाईट में राज्य प्रबाधी प्रभारों की राशि की उपलब्धता तैयार करेगा तथा इसे जारी करेगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र समय–समय पर, जब कभी अपेक्षित हो, एस आर ए पुनरीक्षित करेगा । राज्य प्रबाधी लेखे में व्यापक रूप से निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित की जाएगी :–

(क) प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, न्यून वोल्टेज (<97%) तथा उच्च वोल्टेज (>103%) के दौरान दिवसवार शुद्ध प्रबाधी ऊर्जा अन्तःक्षेपण/आहरण के विवरण;

(ख) प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु न्यून वोल्टेज (<97%) तथा उच्च वोल्टेज (>103%) के दौरान साप्ताहिक कुल शुद्ध प्रबाधी ऊर्जा अन्तःक्षेपण/आहरण की संक्षेपिका;

(ग) विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य प्रबाधी प्रभारों की संक्षेपिका (टीपः प्रबाधी ऊर्जा की दर भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तथा अनुवर्ती संशोधन के अनुसार ली जाएगी); तथा

(घ) अन्य कोई ब्यौरे, जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र राज्य प्रबाधीलेखा को संपूर्ण किये जाने के संबंध में आवश्यक समझे ।

(16) राज्य में प्रबाधी ऊर्जा संव्यवहारों हेतु निम्नलिखित नियम लागू होंगे :

(क) वोल्टेज 97% से कम होने पर, आहरण हेतु विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा (+) भुगतान योग्य रकम ;

(ख) वोल्टेज 97% से कम होने पर, अन्तःक्षेपण हेतु विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा (-) प्राप्ति योग्य रकम ;

(ग) वोल्टेज 103% से अधिक होने पर, अन्तःक्षेपण हेतु विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा (-) भुगतान योग्य रकम ;

(घ) वोल्टेज 103% से अधिक होने पर, आहरण हेतु विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा (-) प्राप्ति योग्य रकम ;

(17) उपरोक्त में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी दशा में जब ग्रिड की सुरक्षा अथवा किसी उपकरण का बचाव संकटापन्न हो, राज्य भार प्रेषण केन्द्र किसी विद्युत वितरण कम्पनी को उसके प्रबाधी आहरण/अन्तःक्षेपण में कटौती किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित कर सकेगा । समस्त राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन/स्वतंत्र विद्युत उत्पादक/खुली पहुंच विद्युत उत्पादक (ओ ए जी एस), राज्य भार प्रेषण केन्द्र के दिशा–निर्देशों के अनुरूप तत्संबंधी विद्युत उत्पादक इकाईयों की क्षमता सीमाओं के अन्तर्गत प्रबाधी ऊर्जा का उत्पादन अन्तर्लीन करेंगे, जो तत्समय में वांछित सक्रिय विद्युत उत्पादन के त्याग के मूल्य पर कदापि न होंगी। राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन/स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक/खुली पहुंच विद्युत उत्पादक को (ओ ए जी एस) को ऐसे मूल्य वर्धित अनुपात (वी ए आर) उत्पादन/अन्तर्लयन हेतु किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा । इसी प्रकार, राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन पहुंच विद्युत उत्पादक/स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक/खुली पहुंच विद्युत उत्पादक (ओ ए जी एस) को भी ऐसे (वी ए आर) उत्पादन/अन्तर्लयन हेतु किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा ।

(18) प्रबाधी ऊर्जा का व्यवस्थापन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा :

नामपद्धति/(पारिभाषिक शब्दावली):

आर आर सी : मध्यप्रदेश राज्य द्वारा भुगतान–योग्य (+)/प्राप्ति–योग्य (–) कुल क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार तथा राज्यान्नारित द्विपक्षीय प्रबाधी प्रभार होंगे ।

एस आर सी पीः विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा भुगतान–योग्य (+) कुल राज्य प्रबाधी प्रभार होंगे ।

एस आर सी आरः विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्राप्ति–योग्य (–) कुल राज्य प्रबाधी प्रभार होंगे ।

आर आर एः राज्य प्रबाधी लेखा में उपलब्ध प्रबाधी आरक्षित रकम होगी (अर्थात्, बचत की अवशेष रकम, जो पूर्व के समस्त प्रबाधी संव्यवहारों के व्यवस्थापन के पश्चात् उपलब्ध होगी) ।

(क) प्रकरण–प्रथम : यदि क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार, मध्यप्रदेश राज्य द्वारा भुगतान–योग्य (+) हैं तथा क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार + राज्य प्रबाधी प्रभार, प्राप्ति–योग्य, राज्य प्रबाधी प्रभार भुगतान–योग्य से कम हैः शेष राशि को प्रबाधी संचिति राशि के रूप में, क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार तथा राज्य प्रबाधी प्रभार प्राप्ति–योग्य के भुगतान के पश्चात्, रखा जाएगा।

(ख) प्रकरण–द्वितीय : यदि क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार मध्यप्रदेश राज्य द्वारा भुगतान–योग्य (+) हैं तथा क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार + राज्य प्रबाधी प्रभार, प्राप्ति–योग्य, राज्य प्रबाधी प्रभार भुगतान–योग्य से अधिक हैः बचत रकम, यदि कोई हो, जो प्रबाधी संचिति रकम के रूप में, उपलब्ध हो, को वापस आहरित किया जाएगा ताकि इसका मिलान क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार + राज्य प्रबाधी प्रभार भुगतान–योग्य, तथा राज्य प्रबाधी प्रभार भुगतान–योग्य से किया जा सके। यदि कोई संचिति अर्थात् 'आपूर्ति' रिजर्व उपलब्ध न हो अथवा यदि यह घाटे की आपूर्ति हेतु अपर्याप्त हो तो राज्य प्रबाधी प्रभार प्राप्ति–योग्य तथा राज्य प्रबाधी प्रभार भुगतान–योग्य को समुचित रूप से कम किया जाएगा ताकि वह कुल भुगतान–योग्य तथा कुल प्राप्ति–योग्य राशियों से मेल खाये।

(ग) प्रकरण–तृतीय : यदि क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार मध्यप्रदेश राज्य द्वारा प्राप्ति–योग्य (–) है तथा क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार + राज्य प्रबाधी प्रभार, प्राप्ति–योग्य, राज्य प्रबाधी प्रभार प्राप्ति–योग्य से कम हैः तो ऐसी दशा में कुल राज्य प्रबाधी प्रभार प्राप्ति–योग्य के भुगतान के पश्चात् शेष रकम को प्रबाधी संचित रकम (आरआरए) के रूप में रखा जाएगा।

(घ) प्रकरण–चतुर्थ : यदि क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार मध्यप्रदेश राज्य द्वारा प्राप्ति–योग्य (–) हैं तथा क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार + राज्य प्रबाधी प्रभार, प्राप्ति–योग्य, राज्य प्रबाधी प्रभार प्राप्ति–योग्य से अधिक हैः बचत रकम, यदि कोई हो, जो संचित (आरआरए) रूप में उपलब्ध हो, को वापस आहरित किया जाएगा ताकि इसका मिलान क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार + राज्य प्रबाधी प्रभार भुगतान–योग्य, तथा राज्य प्रबाधी प्रभार प्राप्ति–योग्य से किया जा सके। यदि कोई संचित उपलब्ध न हो अथवा यदि यह घाटे की आपूर्ति हेतु अप्रर्याप्त हो तो ऐसी दशा में राज्य प्रबाधी प्रभार प्राप्ति–योग्य तथा राज्य प्रबाधी प्रभार भुगतान–योग्य को समुचित रूप से कम किया जाएगा ताकि वह कुल भुगतान–योग्य तथा प्राप्ति–योग्य से मेल खाये।

(ड़) प्रकरण–पंचम : यदि राज्य प्रबाधी प्रभार वितरण कंपनियों द्वारा प्राप्ति–योग्य हों तथा कोई भी क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार प्राप्ति–योग्य न हों तथा संचित (आरआरए) में कोई शेष राशि उपलब्ध न हो तो ऐसी दशा में वितरण कंपनियों को कोई भी प्रबाधी प्रभार भुगतान–योग्य न होंगे।

(19) प्रबाधी प्रभारों के भुगतान को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी तथा संबंधित इकाई को दर्शाई गई राशि का भुगतान एमपीपीएमसीएल द्वारा संचालित राज्य प्रबाधी खाते के अन्तर्गत राज्य प्रबाधी लेखा विवरण–पत्र जारी होने के दस दिवस के भीतर करना होगा । वह इकाई, जिसे प्रबाधी प्रभारों से संबंधित भुगतान प्राप्त करना है, को तदनुसार भुगतान राज्य प्रबाधी लेखा में से दो कार्यकारी दिवसों के भीतर किया जाएगा ।

(20) यदि प्रबाधी प्रभार के विरूद्ध भुगतान में दो दिवस से अधिक का विलंब होता हो अर्थात् राज्य प्रबाधी लेखा विवरण–पत्र जारी होने से बारह दिवस से अधिक का, तो ऐसी दशा में चूककर्ता इकाईयों को 0.04 प्रतिशत के साधारण ब्याज प्रति दिवस विलंब हेतु भुगतान करना होगा । इस प्रकार एकत्रित की गई ब्याज राशि का भुगतान उन इकाईयों को किया जाएगा, जिनके द्वारा यह रकम प्राप्त की जानी थी तथा जिनके भुगतान के संबंध में विलंब किया गया था ।

8. विचलन प्रभारों के असंतुलित व्यवस्थापन की प्रक्रिया :

इस संहिता के उपबंधों के अनुरूप राज्यान्तरिक इकाईयों हेतु विचलन प्रभारों के असंतुलित व्यवस्थापन का उदाहरण परिशिष्ट में दर्शाया गया है ।

9. आंकडा अभिलेखों की अपेक्षाएं:

(1) समस्त इकाईयों द्वारा समस्त अभिलेख/जानकारी/आंकड़े निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट की गई समयावधि हेतु उचित रूप से सुरक्षित रखे जाएगे । ये अभिलेख किसी भी समय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अथवा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा नियुक्त किये गये किसी स्वतंत्र लेखा–परीक्षण अभिकरण (एजेन्सी) द्वारा अंकेक्षण के प्रयोजन हेतु सुगमता से पुनः अधिष्ठापित किये जाने के सुयोग्य रखे जायेंगे :

अनु. क्रमांक	अभिलेख/सूचना /आंकड़े	प्रकार तथा उसकी कालावधि	उत्तरदायित्व
1.	राज्यान्तरिक इकाईयों द्वारा लघु–अवधि खुली पहुंच तथा संबद्ध संविदाएं/अनुबन्ध	इलेक्ट्रानिक –2 वर्ष पत्रों पर–12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
2.	समस्त राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशनों /स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों/ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों की घोषित क्षमता तथा समस्त अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशनों में स्वत्वाधिकार (समस्त पुनरीक्षणों सहित)	इलेक्ट्रानिक –2 वर्ष पत्रों पर– 12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र उत्पादन नियन्त्रण केन्द्र
3.	प्रत्येक वितरण कम्पनी की मांग, स्वत्वाधिकार तथा मांग पत्र (समस्त पुनरीक्षणों सहित)	इलेक्ट्रानिक 2 वर्ष पत्रों पर–12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र वितरण नियन्त्रण केन्द्र (डीसीसी)
4.	लघु अवधि खुली पहुंच संव्यवहार द्विपक्षीय संव्यवहार (प्रत्यक्ष तथा व्यापारियों के माध्यम से) तथा विद्युत विनिमय केन्द्रों के माध्यम से सामूहिक संव्यवहार	इलेक्ट्रानिक –2 वर्ष पत्रों पर–12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र वितरण नियन्त्रण केन्द्र (डीसीसी)
5.	अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन, विक्रेता, क्रेता की अनुसूचियां (समस्त पुनरीक्षणों सहित)	इलेक्ट्रानिक – 2 वर्ष पत्रों पर–12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र उत्पादन नियन्त्रण केन्द्र, वितरण नियंत्रण केन्द्र
6.	राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन, विक्रेता, क्रेता के अन्तर्मुखों से उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) मापयन्त्र आंकड़े, 15–मिनट के समय–खण्ड में	इलेक्ट्रानिक – 2 वर्ष	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
7.	राज्य भार प्रेषण केन्द्र के राज्यान्तरिक इकाईयों को दिशा–निर्देशों के विवरण	इलेक्ट्रानिक – 2 वर्ष	राज्य भार प्रेषण केन्द्र का
8.	राज्य भार प्रेषण केन्द्र को राज्यान्तरिक इकाईयों के अनुरोध	इलेक्ट्रानिक – 2 वर्ष पत्रों पर–12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र

	संबंधी विवरण		
9.	परिचालन, वाणिज्यिक वितरण नियंत्रण केन्द्र अथवा विपणन अंकेक्षण के प्रयोजन से अन्य कोई जानकारी, जो आवश्यक समझी जाए	इलेक्ट्रानिक – 2 वर्ष पत्रों पर–12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र , वितरण नियंत्रण केन्द्र, उत्पादन नियंत्रण केन्द्र

10. विपणन अंकेक्षण हेतु स्थायी समिति :–

(1) आयोग, विपणन संव्यवहारों की स्वतंत्र समीक्षा व अंकेक्षण हेतु तथा राज्यान्तरिक इकाईयां जिन्हें संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता लागू होती हो, के आचरण पर निगरानी हेतु एक स्थाई समिति की नियुक्ति कर सकेगा। इस समिति में निम्न सदस्य होंगेः

(क) राज्य भार प्रेषण केन्द्र से एक प्रतिनिधि (जो मुख्य अभियंता से कम श्रेणी का नहीं होगा) स्थायी समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) राज्य पारेषण इकाई से एक प्रतिनिधि (जो मुख्य अभियंता से कम श्रेणी का नहीं होगा); एवं

(ग) मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से एक प्रतिनिधि (जो न्यूनतम मुख्य अभियंता या समकक्ष श्रेणी से कम का नहीं होगा);

(घ) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड से एक प्रतिनिधि (जो मुख्य अभियंता या समकक्ष श्रेणी से कम का नहीं होगा);

(ड़) तीन विद्युत वितरण कम्पनियों से एक प्रतिनिधि प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी से चक्रानुक्रम अनुसार एक वर्ष की अवधि हेतु, (जो न्यूनतम मुख्य अभियन्ता या समकक्ष श्रेणी से कम नहीं होगा);

(च) नेशनल हाईड्रो डवलपमेंट कारपोरेशन, स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक (जिनकी स्थापित क्षमता 250 मेगावाट तथा इससे अधिक हो) तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों (जिनकी स्थापित क्षमता एकल स्थान पर 50 मेगावाट या इससे अधिक हो) से एक प्रतिनिधि एक वर्ष के लिये चक्रानुक्रम अनुसार; तथा

(छ) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र /विद्युत वितरण कम्पनी,मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड/मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड / राज्य पारेषण इकाई से एक प्रमाणित ऊर्जा अंकेक्षक जिसे स्थाई समिति द्वारा समिति को ऊर्जा अंकेक्षण प्रतिवेदन को तैयार करने हेतु नामांकित किया जाएगा।

(2) अंकेक्षण वर्ष में दो बार किया जाएगा तथा समिति आयोग को अंकेक्षण कार्य प्रारंभ किये जाने से साठ दिवस के भीतर अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।

(3) समिति, आयोग को परिवर्धन तथा सुझावों (यदि कोई हों)की अनुशंसा करेगी। आयोग, तद्नुसार आवश्यकता पड़ने पर, संबंधित धारा अथवा आदेश अथवा प्रक्रिया को संशोधित तथा अधिसूचित कर सकेगा।

11 संहिता की प्रयोज्यता

यह संहिता राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशनों, स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों विद्युत वितरण कम्पनियों तथा अन्तर्राज्यीय /राज्यान्तरिक खुली पहुंच इकाईयों को इसके लागू होने की तिथि से प्रयोज्य होगी तथा यह ऐसे अन्य विद्युत उत्पादकों/इकाईयों को भी ऐसी

तिथि से, जैसा कि आयोग द्वारा इसे पृथक से अधिसूचना के माध्यम से जारी किया जाए, लागू होगी।

12. कठिनाइयां दूर करने की शक्तियां

(1) इस संहिता के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर आयोग, किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य पारेषण इकाई और/या राज्यान्तरिक इकाईयों में से किसी भी इकाई को उचित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित कर सकेगा जो कि अधिनियम के उपबन्धों के असंगत नही होंगी जो आयोग को कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हो ।

(2) इस संहिता के लागू किये जाने पर उत्पन्न होने वाली कठिनाईयां दूर किये जाने हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य पारेषण इकाई और/या राज्यान्तरिक इकाईयों में से कोई भी इकाई आयोग को आवेदन प्रस्तुत कर उचित आदेश पारित किये जाने हेतु भी निवेदन कर सकेंगे।

13. संशोधन की शक्ति –

आयोग किसी भी समय आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए, इस संहिता के किन्हीं उपबंधों में परिवर्धन, परिवर्तन, सुधार, उपांतरण या संशोधन कर सकेगा।

14. व्यावृति

(1) संहिता अर्थात् ''मध्यप्रदेश विद्युत संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2009 (जी–34, सन् 2009)'' अधिसूचित दिनांक 23 अक्टूबर, 2009 तथा समस्त संशोधनों के साथ सहपठित है, जैसा कि वह संहिता की विषयवस्तु के साथ प्रयोज्य है, एतद्द्वारा अतिष्ठित की जाती है ।

(2) इस संहिता में की कोई भी बात, आयोग को अन्तर्निहित शक्तियों को ऐसे आदेश जो न्यायहित में या आयोग की प्रक्रियाओं में दोष रोकने के लिये जारी करना आवश्यक है, सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी ।

(3) इस संहिता में की कोई भी बात, आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, लिखित कारणों सहित यदि आयोग आवश्यक व उचित समझे तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने में नही रोकेगा जो इन संहिता के किन्हीं प्रावधानों से अन्यथा हो ।

(4) इस संहिता में की कोई भी बात, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से आयोग को, किसी विषय या अधिनियम के अधीन किन्ही शक्तियों के प्रयोग से वर्जित नहीं करेगी जिसके लिए कोई विनियम या संहिता नहीं बनाई गई हो तथा आयोग ऐसे विषयों, अधिकारों, शक्तियों तथा कृत्यों उसी प्रकार से, जैसा वह उचित समझे, कार्यवाही कर सकेगा ।

परिशिष्ट

<u>राज्यान्तरिक इकाईयों के विचलन प्रभारों पर असंतुलन व्यवस्थापन संबंधी प्रक्रिया</u>

विचलन व्यवस्थापन लेखा का कोष सन्तुलन दो चरणों में किया जाएगा ; प्रथम चरण में कोष सन्तुलन समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों (दीर्घ–अवधि के अन्तर्गत) के संबंध में किया जाएगा जिनमें खुली पहुंच क्रेताओं को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जबकि द्वितीय चरण खुली पहुंच क्रेताओं को सम्मिलित किया जाएगा। द्वितीय चरण में खुली पहुंच क्रेताओं को सम्मिलित करने का उद्देश्य यह है कि खुली पहुंच

क्रेताओं की समायोजन राशि नाम मात्र की होती है, भले ही मध्यप्रदेश राज्य द्वारा देय/प्राप्य क्षेत्रीय विचलन की राशि वृहद क्यों न हो।

चरण प्रथम

राज्य कोष के प्रत्येक सहभागी द्वारा देय/प्राप्य खण्डवार विचलन प्रभारों की गणना सप्ताह/माह के अन्त में की जाती है। मध्यप्रदेश राज्य द्वारा देय/प्राप्य दिवसवार क्षेत्रीय विचलन समायोजन की राशि को पश्चिमी क्षेत्र पावर समिति द्वारा तैयार किये गये क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा से प्राप्त किया जाता है।

राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि कोष लेखा (सप्ताह/माह के किसी प्रदत्त दिवस के लिये)

सहभागियों द्वारा देय रकम		**सहभागियों द्वारा प्राप्य रकम**	
सहभागीगण	रूपये	सहभागीगण	रूपये
डी2	3000	डी 1	4500
डी3	2000	एसएसजीएस3	3500
एसएसजीएस1	3500	क्षेत्रीय डीएसएमराशि	3000
एसएसजीएस2	1500		
कुल देयक	**10000**	**कुल प्राप्य**	**11000**

जहां,
डी 1, डी 2, डी 3 विद्युत वितरण कम्पनियां हैं, राज्य क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र 1, राज्य क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र 2, तथा राज्य क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र 3, राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन हैं। क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि रकम मध्यप्रदेश राज्य द्वारा देय/प्राप्य विचलन रकम है।

इस प्रकार राज्य विचलन कोष को/से देय/प्राप्य रकम का किसी प्रदत्त दिवस हेतु मिलान नहीं हो रहा है। अतएव इनके मिलान हेतु, ''कुल देय राशि'' तथा ''कुल प्राप्य राशि'' के औसत को आधार मानकर देय/प्राप्य रकमों का औसत से मिलान किया जाता है ।

विवरण	**कुल देय रकम**	**कुल प्राप्य रकम**
कुल रकम	10000	11000
''कुल देय रकम'' तथा ''कुल प्राप्य रकम'' का औसत	10500/–	
समायोजन अनुपात # एआरपी 1 (= औसत/कुल देय रकम)	1.05	
समायोजन अनुपात # एआरपी1 (= औसत/कुल देय राशि)	0.954545	

प्रथम प्रक्रम समायोजन

सहभागियों द्वारा देय रकम – प्रथम समायोजन

सहभागीगण	मूल देय रकम	समायोजन अनुपात एआरपी1	समायोजित देय रकम
डी 2	3000	1.05	3150
डी 3	2000	1.05	2100
राज्य क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र 1	3500	1.05	3675
राज्य क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र 2	1500	1.05	1575
कुल देय	**10000**		**10500**

सहभागियों द्वारा प्राप्य राशि – प्रथम समायोजन			
सहभागीगण	**मूल देयक**	**समायोजन अनुपात**	**समायोजित देयक**
डी 1	4500	0.954545	4295
राज्य क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र 3	3500	0.954545	3341
क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि रकम	3000	0.954545	2864
कुल प्राप्तियां	**11000**		**10500**

चूंकि क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि राशि का भुगतान बिना किसी समायोजन के किया जाना चाहिए, अतएव ''वास्तविक क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि राशि तथा समायोजित विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि राशि'' की वसूली शेष बचे हुए सहभागियों से उनकी मूल राशियों के अनुपात में की जानी चाहिए ।

समायोजित क्षेत्रीय डीएसएम रकम तथा वास्तविक क्षेत्रीय डीएसएम रकम का अन्तर	=2864-3000=-136
मूल कुल प्राप्य रकम, वास्तविक क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि रकम को छोड़कर	=11000-3000=8000
समायोजित अनुपात प्राप्तियों हेतु	=-136/8000=-0.017046

सहभागीगण	मूल प्राप्तियां	समायोजन अनुपात	समायोजित प्राप्तियां
डी1	4500	–0.017046	–77
राज्य क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र 3	3500	–0.017046	–60
कुल प्राप्तियां	**8000**	**–**	**–136**

सहभागियों द्वारा प्राप्य रकम (किसी सप्ताह के प्रदत्त दिवस हेतु) – अन्तिम

सहभागीगण	प्रथम समायोजन उपरान्त रकम	द्वितीय समायोजन रकम	योग (अन्तिम) समायोजित रकम
डी1	4295	–77	4219
राज्य क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र 3	3341	–60	3281
क्षेत्रीय डीएसएम रकम	3000	0	3000
कुल प्राप्य रकम	**10636**	**–136**	**10500**

अन्तिम सन्तुलित राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि कोष लेखा

सहभागियों द्वारा देय रकम		सहभागियों द्वारा प्राप्य रकम	
सहभागीगण	रूपये	सहभागीगण	रूपये
डी2	3150	डी1	4219
डी3	2100	एसएसजीएस 3	3281
राज्य क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र 1	3675	क्षेत्रीय डीएसएम रकम	3000
राज्य क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र 2	1575		
कुल देयक	**10500**	**कुल प्राप्तियां**	**10500**

चरण द्वितीय

प्रक्रम प्रथम तथा द्वितीय

प्रथम चरण मे सन्तुलित विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि कोष लेखा प्राप्त किये जाने के उपरान्त, खुली पहुंच उत्पादकों /खुली पहुंच क्रेताओं (लघु–अवधि के अन्तर्गत) को सम्मिलित किया जाता है तथा प्रथम चरण की क्रियाविधि को सन्तुलित डी एस एम कोष लेखे की प्राप्ति हेतु उपयोग में लाया जाता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग
के आदेशानुसार

शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव